न्यायालय श्री दिनेश कुमार, न्या0 दण्डा0, प्रथम श्रेणी, दाउदनगर।

जी0आर0नं0:—348 / 020

उपहारा थाना कांड संख्या :—36 / 2020

14.02.2022 काराधीन अभियुक्त सिया राम यादव की ओर से जमानत आवेदन दाखिल किया गया। आवेदन की प्रति विद्वान अभियोजन पदाधिकारी को दी गई है ।

वाद पुकार पर आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त जमानत आवेदन के आलोक में निवेदन करते है कि आवेदक निर्दोष है एवं इस केस में झूठा फंसाया गया है । आवेदक महेंदिया थाना कांड संख्या—06 / 2020 में नियमित जमानत प्राप्त कर चुका है । आवेदक को महेंदिया थाना कांड संख्या—06 / 2020 से, इस वाद में दिनांक—07.02.2022 को रिमाण्ड किया गया है । उक्त वाद में कारित घटना दिनांक—18.04.2020 को बताई गई है जबकि प्राथमिकी काफी विलम्ब से दिनांक—13.05.2020 को दर्ज की गई है लेकिन इस विलम्ब से संबंधित कोई यथोचित कारण नही दिया गया है । इस वाद के अन्य अभियुक्तगण रंजन कुमार एवं बसंत कुमार के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर आवेदक का नाम आया है। आवेदक को उक्त कारित घटना से कोई सरोकार नही है । आवेदक के पास से अपराधिक वस्तु से सम्बन्धित कोई सामान बरामद नही हुआ है । आवेदक के विरूद्ध उक्त वाद में कोई विश्वसनीय साक्ष्य नही है । अतः आवेदक को किसी भी राशि का जमानत दिया जाय।

विद्वान अभियोजन पदाधिकारी जमानत का विरोध करते हैं ।

सुना । अभिलेख का अवलोकन किया । जिससे विदित होता है कि उक्त वाद पूरक वाद अभिलेख है । इस वाद की प्राथमिकी धारा 379 एवं 461 भा0दं0सं0 के अंतर्गत दर्ज की गई है । संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि सूचिका लक्ष्मी कुमारी उ0म0वि0 डडवॉ में प्रभारी प्रधानाध्यापिका के पद पर कार्यरत है । दिनांक—18.04.2020 को उक्त विद्यालय में स्मार्ट क्लास का ताला तोड.कर शिक्षण सामग्री की चोरी अज्ञात चोरो द्वारा कर ली गई है । आवेदक का नाम अनुसंधान के कम में आया है । इस वाद के अन्य अभियुक्त रंजन कुमार एवं बसंत कुमार ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में आवेदक का इस वाद में सलिप्तता से सम्बन्धित कथन किया है । आवेदक द्वारा दाखिल जमानत आवेदन से यह स्पष्टतः विदित होता है कि आवेदक इस वाद के अतिरिक्त अन्य वाद में भी अभियुक्त है यानी आवेदक का अपराधिक इतिहास है । आवेदक के विरूद्ध गम्भीर आरोप है । उक्त वाद के अन्य अभियुक्तगण का जमानत इस न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है । अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति तथा गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए आवेदक / अभियुक्त का जमानत आवेदन न्यायहित में स्वीकृत किया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त आवेदक / अभियुक्त की ओर से दाखिल जमानत आवेदन खारिज किया जाता है ।

न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, दाउदनगर ।